भारत सरकार

उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय

खाद्य और सार्वजनिक वितरण विभाग

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या 3149

11 मार्च, 2026 के लिए प्रश्न

एक राष्ट्र एक राशन कार्ड (ओएनओआरसी) योजना

3149. डॉ. गुम्मा तनुजा रानी:

क्या **उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या 'वन नेशन वन राशन कार्ड' (ओएनओआरसी) योजना सभी राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों में सफलतापूर्वक लागू की गई है;

(ख) यदि हाँ, तो क्या इस योजना के अंतर्गत प्रवासी श्रमिकों द्वारा राशन की हकदारी तक निर्बाध पहुँच सुनिश्चित करने में किसी चुनौती का सामना करना पड़ा है; और

(ग) यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इन चुनौतियों का समाधान करने और योजना का प्रभावी राष्ट्रव्यापी कार्यान्वयन सुनिश्चित करने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए जा रहे हैं?

उत्तर

उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण राज्य मंत्री

(श्रीमती निमुबेन जयंतीभाई बांभणिया)

(क) से (ग): एक राष्ट्र एक राशन कार्ड (ओएनओआरसी) खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण विभाग की एक प्रौद्योगिकी-संचालित पहल है, जो राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम (एनएफएसए) के अंतर्गत आने वाले लाभार्थियों के लिए राशन कार्डों की राष्ट्रव्यापी सुवाह्यता (पोर्टेबिलिटी) को सक्षम बनाती है। यह प्रणाली पात्र लाभार्थियों, विशेष रूप से प्रवासी श्रमिकों और अन्य गतिशील आबादी को, ई-पीओएस उपकरणों का उपयोग करके आधार-आधारित बायोमेट्रिक प्रमाणीकरण के माध्यम से देश भर में किसी भी उचित दर दुकान (एफपीएस) से अपने पात्र खाद्यान्न प्राप्त करने की सुविधा प्रदान करती है। यह प्रणाली सभी राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के राशन कार्ड डेटाबेस को एकीकृत करती है और उचित दर दुकानों पर स्थापित अंतरसंचालनीय ई-पीओएस उपकरणों के माध्यम से निर्बाध सुवाह्यता (पोर्टेबिलिटी) को सुगम बनाती है।

ओएनओआरसी का कार्यान्वयन चरणबद्ध तरीके से किया गया, जिसकी शुरुआत अगस्त 2019 में अंतर-राज्यीय सुवाह्यता (पोर्टेबिलिटी) लेनदेन के पायलट प्रोजेक्ट से हुई, जिसके बाद राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को धीरे-धीरे इसमें शामिल किया गया। वर्तमान में, ओएनओआरसी को सभी 36 राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों में सफलतापूर्वक लागू किया जा चुका है, जिससे लगभग 80 करोड़ एनएफएसए लाभार्थियों (एनएफएसए की कुल आबादी का 100%) को लाभ मिल रहा है। तदनुसार, ओएनओआरसी सुविधा अब देश भर के सभी पीएमजीकेएवाई लाभार्थियों के लिए स्वतः उपलब्ध है।

*****